उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 18.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

आगामी त्यौहारों के दौरान संवेदनशीलता के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने व किसी भी स्थिति से निपटने के लिए महोबा पुलिस एलर्ट मोड पर, पुलिस लाइन में किया बलवा ड्रिल का अभ्यास-

आज दिनांक- 18.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस की कार्यकुशलता को और निपुण व सशक्त बनाने तथा किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन महोबा के परेड ग्रांउड में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया।

इस दौरान बलवा ड्रिल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। ड्रिल के दौरान आँसू गैस के गोले, रबर बुलेट, फायर सर्विस, वाटर कैनन व अन्य का प्रयोग करने की विधि बताकर रिहर्सल की गयी । इस दौरान प्रशिक्षु महिला उ0नि0 द्वारा भी एन्टीराइट गन चलायी गयी व अश्रु गैस के गोले दागे गये । जिससे विषम परिस्थियों में विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए पुलिस की 10 पार्टियों का क्रमवार प्रयोग करते हुए विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का अभ्यास कराया गया ।

निश्चित रुप से इस बलवा ड्रिल के रिहर्सल से जनपदीय पुलिस बल को आने वाले आगामी त्यौहार व अन्य परिस्थितियों के दौरान अराजकतत्वों से निपटने में मदद मिलेगी।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, वाचक निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार दुबे सहित जनपदीय पुलिस के विभिन्न थानों एवं शाखाओं में तैनात अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

मीडिया सेल, महोबा

'मिशन शक्ति' फेज-5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरुक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक- 18.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गांवों चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे- वुमेन पावर लाइन **1090,** महिला हेल्पलाइन **181,** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076,** पुलिस आपातकालीन सेवा **112,** चाइल्ड हेल्पलाइन **1098,** स्वास्थ्य सेवा **102** एम्बुलेंस सेवा **108** व साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारे जानकारी देते हुए **24** घण्टे पुलिस सहायता प्रदान किये जाने व थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जी गयी एवं साथ ही साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-**1930** की जानकारी देकर किया गया जागरुक।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद महोबा में महिला सम्बन्धी अपराधों एवं विगत 03 माह से लम्बित अभियोगों की समीक्षा की गयी, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

मिशन शक्ति फेज- 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में आज दिनांक- 18.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद में घटित विभिन्न महिला एवं बाल सुरक्षा सम्बन्धी अपराधों में लम्बित प्रकरणों तथा विगत 03 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण की स्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचकों के साथ गोष्ठी कर प्रकरणों की समीक्षा की गयी है।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लम्बित विवेचनाओं की समीक्षोपरान्त जिन विवेचकों द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण में सार्थक प्रयास नही किये जा रहे थे उन सभी विवेचको को कड़े निर्देश दिए। साथ ही साथ साक्ष्य संकलन कर 01 सप्ताह में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक ने महिला सम्बन्धी अपराधों पर विशेष संवेदनशील होते हुए कहा है कि महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाये तथा इससे सम्बन्धित पीडिता की नियमानुसार काउंसिलिग की जाये। तथा सम्बन्धित अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस पर किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

मीडिया सेल, महोबा

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अग्निशमन टीम द्वारा आतिशबाज की दुकानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को परखा गया, सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी आने वाले धनतेरस एवं दीपावली पर्व के मद्देनजर जनपदवासियों को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराये जाने उद्देश्य से आज दिनांक- 18.10.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा आतिशबाजी विक्रय/निर्माण एवं भंडारण स्थलों का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया तथा आतिशबाजी/पटाखा विक्रय/भंडारण/निर्माण स्थलों पर उपस्थित दुकानदारों एवं स्टाफ को अग्निशमन उपकरणो को चलाए जाने हेतु प्रशिक्षण/जानकारी दी गई तथा लाइसेंसिंग क्षमता के अनुसार रखे जाने हेतु निर्देशित करते हुए मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव क्रियाशील दशा में रखने हेतु निर्देशित करते हुए जागरुकता पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया गया, इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरण लगाने हेतु एवं सुरक्षा के मानकों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आग दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके।